न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 122/2016 अपील (RCMS/2016/00011)
पंजीयन दिनांक — 08.12.2016
निर्णय दिनांक — 24.06.2019

1. श्रीमती लच्छु पुत्री स्व. श्री सवाजी डांगी, पत्नि श्री भूराजी डांगी, निवासी करूमडा की ढाणी, रठुंजना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती मानी पुत्री श्री सवाजी डांगी, पत्नि श्री हीराजी डांगी, निवासी रेतडा मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री ठाकुर उर्फ ठाकरिया पुत्र स्व. श्री सवाजी डांगी, निवासी रठुंजना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती लाली पत्नि स्व. श्री देवाजी डांगी, निवासी रठुंजना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. ग्राम पंचायत नेगडिया जरिये सरपंच, नेगडिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या—14/2014, श्रीमती लच्छु व अन्य बनाम श्री ठाकुर उर्फ ठाकरिया व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.06.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या—14/2014, श्रीमती लच्छु व अन्य बनाम श्री ठाकुर उर्फ ठाकरिया व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा समक्ष ग्राम पंचायत रठुंजना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या—14 दिनांक 06.12.1976 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की और निवेदन किया कि राजस्व ग्राम

Web Copy - Not Official

रठुंजना, पटवार हल्का नेगडिया, तहसील नाथद्वारा में स्वर्गीय सवा पिता पदमा डांगी की कृषि आराजीयात की भूमि स्थित है। श्री सवा के दो पुत्र श्री ठाकुर उर्फ ठाकरिया व देवा एवं दो पुत्रियां श्रीमती लच्छु एवं मानी है। श्री सवा की मृत्यु हुए करीब 40 वर्ष हो चुके है। श्री सवा की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत रठुंजना द्वारा सवा के दोनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण संख्या–14 दिनांक 06.12.1976 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान पटवारी हल्का द्वारा पुत्रियों का नाम सजरे में शामिल नहीं किया गया जिससे उनके नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं हुआ। श्री सवा में एक पुत्र श्री देवा के निधन होने से उसका नामान्तरकरण उसकी पत्नि के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या–14 स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलार्थी, जो पुत्रियां है, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही पक्षकार बनाया गया। ऐसी स्थिति में सवाजी के सभी वारिसान अर्थात अपीलान्ट का नाम भी संवा एवं देवा के साथ नामान्तरकरण में दर्ज किया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पाया गया कि उनके समक्ष अपील विवाहिता पुत्रियों द्वारा 40 वर्ष बाद की गई जो समय सीमा से बाहर है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा निर्णय दिनांक 14.09.2016 पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय 14.09.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 30.11.2016 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट के ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 10.06.2019 को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस् का निर्णय पारित किये जाने पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया, लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि सवाजी का निधन सन् 1975–76 में हुआ जिससे विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेंट संख्या–1 से मिलकर पूर्ण जांच एवं प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलान्टस् को उनके उत्तराधिकार में मिलने वाले हक व अधिकार से वंचित करने के लिए उनके परोक्ष नामान्तरकरण निर्णित करा दिया जिसकी जानकारी अपीलान्टस् को नहीं दी गई है। अपीलान्टस् इस नामान्तरकरण से पीड़ित है क्योंकि वह सवाजी के उत्तराधिकारी पुत्रियां है जो पुत्रों के समान अपना हक रखती है, जिससे ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या–14 दिनांक 6.12.1976 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों को अनदेखा करते हुए अपीलान्टस् के विरूद्ध पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा सवा के वारिसान की कोई जांच नहीं की। न ही नामान्तकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और

न ही पक्ष रखने के लिए तलब किया गया। आक्षेपित नामान्तरकरण धारा–8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्णतः विपरित होकर प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज नम्बर–3 के पैरा–5 में धारा–5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत हुए आवेदन का स्वीकार योग्य नहीं मानकर अपील निरस्त करना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पैरा के आगे अपील के गुणावगुण का उल्लेख कर विवाहित पुत्रियों का अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार होना नहीं मानना वर्णित किए जाने से विधि अनुसार यह माना जावेगा कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया हैं।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों का उल्लेख किया जिस पर वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा आपत्ति जाहिर की गई। प्रकरण के तथ्यों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 14 विरासत के आधार स्वीकृत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस निर्णय के आगे के पेरा में विस्तृत विवेचन भी किया है, जो प्रासंगिक बिन्दु से सुंसंगत है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिप्रादित किया है कि देरी माफी के लिये लचीला रूख रखा जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी कहा है कि देरी को माफ नहीं करने से कई महत्वपूर्ण बिन्दु न्याय से वंचित हो जाते है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर देरी की थी। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित था और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय करना उचित है।

अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेंट संख्या–1 से मिलकर पूर्ण जांच एवं प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलान्टस् को उनके उत्तराधिकार में मिलने वाले हक व अधिकार से वंचित करने के लिए उनके परोक्ष नामान्तरकरण निर्णित करा दिया जिसकी जानकारी अपीलान्टस् को नहीं दी गई है। अपीलान्टस् सवाजी के उत्तराधिकारी पुत्रियां है जो पुत्रों के समान अपना हक रखती है, जिससे ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या–14 दिनांक 6.12.1976 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों को अनदेखा करते हुए अपीलान्टस् के विरूद्ध पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत

द्वारा सवा के वारिसान की कोई जांच नहीं की। न ही नामान्तकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और न ही पक्ष रखने के लिए तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पत्रावली से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार नहीं किया एवं न ही सवा के वारिसान की जांच की गई। विवादित सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी के उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है जो विधिक प्रक्रिया के विपरित है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, वारिसान के जांच करा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा का निर्णय दिनांक 14.09.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, वारिसान की जांच करा, मौके की स्थिति, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार निर्णय पारित कर नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही करें।

निर्णय दिनांक 24.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official